राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3821/2024

महेश कुमार गुर्जर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–II।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.12.2024
आदेश की दिनांक : 17.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री इलिआस खान, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने एसबीसीडब्लू संख्या 18595/2017 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.05.2018 के आदेश के बावजूद अपीलार्थी को लैब असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति देने में 5 वर्ष की देरी की है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियुक्ति देने में की गई देरी के कारण, उसे वरिष्ठता, वेतन, चयनित वेतनमान पदोन्नति आदि का नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि पदोन्नति के लिए उसकी सेवाओं की गणना दिनांक 03.05.2018 के बजाय दिनांक 08.05.2023 से की जाएगी, उसकी परिवीक्षा अवधि वर्ष दिनांक 02.05.2020 के बजाय दिनांक 07.05.2025 को पूरी होगी। प्रत्यर्थी विभाग ने सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट) के पदों के लिए 10.07.2013 को विज्ञापन जारी किया जिसके अनुसरण में

अपीलार्थी ने आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में भाग लिया। प्रयोगशाला सहायक के पद पर चयन माध्यमिक परीक्षा के अंकों तथा सरकारी प्रयोगशाला में कार्य करने के अनुभव के बोनस अंकों के आधार पर किया गया। माध्यमिक परीक्षा के अंकों को 85 प्रतिशत तथा अनुभव को 15 प्रतिशत वेटेज दिया गया। प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 बोनस अंक दिए गए, अधिकतम 15 बोनस अंक दिए गए। अपीलार्थी ने माध्यमिक परीक्षा में 48.33 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। 48.33 प्रतिशत में से 85 प्रतिशत 41.080 के बराबर आता है और ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के तहत अंतिम चयनित उम्मीदवार ने 38.82 अंक हासिल किए हैं, इसलिए अपीलार्थी की उम्मीदवारी को ओबीसी (पुरुष) श्रेणी के पदों के खिलाफ विचार किया जाना आवश्यक था, लेकिन उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया था, उसी अपीलार्थी से व्यथित होने के कारण महेश कुमार गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के रूप में एसबीसीडब्ल्यू संख्या 18595/2017 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 03.05.2018 के आदेश के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया कि प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता(ओं) की उम्मीदवारी पर विचार करें और यदि वे अन्यथा योग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 03.05.2018 के आदेश के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं किया तो अपीलार्थी ने महेश कुमार गुर्जर बनाम वीनू गुप्ता एवं अन्य शीर्षक से सिविल अवमानना याचिका संख्या 1504/2018 दायर की। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 10.08.2020 के आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 03.05.2018 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया कि माननीय न्यायालय ने दिनांक 03.05.2018 के आदेश, जिसकी अवमानना का आरोप है, के तहत प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर लैब सहायक के पद पर नियुक्ति दें और यदि वह अन्यथा योग्य पाया जाता है तो उसे नियुक्ति दी जाए। अवमानना याचिकाओं में अनुपालन सुनिश्चित करने के अवसर दिए जाने के बावजूद आज तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।(अनुलग्नक–3) दिनांक 10.04.2023 के आदेश पारित करने के बाद प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 24.04.2023 को अपीलार्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश दिनांक 24.04.2023 जारी किया गया था तो माननीय न्यायालय ने अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया है। (अनुलग्नक–5) आदेश दिनांक 24.04.2023 की अनुपालना में अपीलार्थी ने 08.05.2023 को निदेशालय में कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद उसे पी.एच.सी. बाघल, सांभर ब्लॉक, जयपुर जयपुर में पदस्थापन स्थान आवंटित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.05.2023 के आदेश के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को नियुक्ति देने में

लगभग 5 वर्षों का विलंब किया। दिनांक 11.12.2015 की अंतिम सूची में ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत अंतिम चयनित उम्मीदवार ने केवल 38.82 अंक प्राप्त किए, जिनका नाम आंतरिक पृष्ठ संख्या 18 पर क्रमांक 154 में अंकित है और उन्हें नियुक्ति दे दी गई। अपीलकर्ता ने 41.080 अंक प्राप्त किए जो उनकी श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार से बहुत अधिक है, लेकिन उन्हें संबंधित पद पर नियुक्ति नहीं दी गई। अपीलार्थी दिनांक 11.12.2015 (जब मेरिट में निम्न अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई थी) से 03.05.2018 तक काल्पनिक लाभों का हकदार है और इसके अतिरिक्त वह इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि अर्थात 03.05.2018 से सभी वास्तविक लाभों का हकदार है, लेकिन नियुक्ति प्रदान करने में मनमाने और अनुचित विलंब के कारण अपीलार्थी को आर्थिक नुकसान (वेतन), वरिष्ठता, पदोन्नति और चयन स्केल और अन्य स्वीकार्य लाभों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वह कानून के तहत हकदार है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी शिकायतें बताते हुए एक अभ्यावेदन दिया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। (अनुलग्नक–6)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को दिनांक 11.12.2015 (जब मेरिट में निचले उम्मीदवार को नियुक्ति दी गई थी) से दिनांक 03.05.2018 तक पारिणामिक लाभ दिए जावे और माननीय उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 से सभी वास्तविक लाभ (वेतन, निर्धारण, वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पदोन्नति, चयन वेतनमान और कानून के तहत अन्य स्वीकार्य लाभ) दिए जावें।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य